

FORM-1  
(for linear projects)  
Government of Rajasthan  
Office of the District Collector SIROHI

No. Dev/FRA/2021/881

Dated 9-07-2021

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences of having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5 February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It has been certified that a total area 4.0 hectares of land from Gram panchayat Manadar to Gram Panchayat Rowara (5/500 to 9/500 Km) is proposed to be diverted in favor of Public Works Department Block Sirohi Gram Panchayat Manadar and Gram Panchayat Rowara subdivision Shivganj, Dist. Sirohi (purpose for diversion of forest land) for Construction of Road from Manadar to Rowara, Gram Panchayat of Shivganj Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.0 hectare of forest area proposed from Gram panchayat Manadar to Gram Panchayat Rowara (5/500 to 9/500 Km). A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) Gram Sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District Level committee are enclosed as annexure sarpanch gram panchayat Manadar Panchayat Samiti Shivganj, Gram Panchayat Rowara Panchayat Samiti Shivganj & Sub Divisional Officer Shivganj and District Forest Officer Sirohi to Distt level Forest Right committee Sirohi annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl; AS above

(Bhagwati Prasad)  
IAS.

District collector Sirohi  
Dated 9-07-2027

No. Dev/FRA/2021/881

Copy forward to -

- 1- D.C.F. Sirohi
- 2- Executive engineer, Public Works Department Block Sirohi

District collector Sirohi

२/७८२९

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज जिला सिरोही

क्रमांक/वनाधिकार/2021/ 649

प्रेषित :- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,  
सिरोही

दिनांक :- 06.2021  
28.5.2021

विषय :- const. of road from Manadar to Rowara Km 5/500 to  
9/500 फोरेस्ट क्लीयरेंस के प्रस्ताव भेजने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान के पत्र क्रमांक विकास/वनाधिकार/2021/352 दिनांक 02.03.  
2021 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि const. of road  
from Manadar to Rowara Km 5/500 to 9/500 फोरेस्ट क्लीयरेंस के प्रस्ताव की  
जांच रिपोर्ट चाही गई है जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1-यह है कि उक्त रास्ते के मध्य आने वाले ग्रामों द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध ली गई  
बैठक में 50 प्रतिशत कोरम से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि पर  
वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत  
वन निवासीयों का कब्जा नहीं है एवं न ही वनाधिकार का पट्टा जारी किया हुआ है।

2-यह है कि उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि पर वनाधिकार  
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन  
निवासीयों का कब्जा नहीं है एवं न ही वनाधिकार का पट्टा जारी किया हुआ है। जिसकी  
बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न है।

संलग्न:-मूल पत्रावली एक।

भवदीय,

(भागीरथ राम)

उपखण्ड अधिकारी  
शिवगंज सिरोही

18-6-21



**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज जिला -सिरोही**  
कमांक/उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार बैठक/2021/ ५७३ दिनांक 13-04-2021

- बैठक कार्यवाही विवरण -

आज दिनांक 09.04.2021 को प्रातः 11.00 बजे उपखण्ड स्तर पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सिरोही के पत्र कमांक/विकास/वनाधिकार/2021/352 दिनांक 22.03.2021 की पालना में अधि० अभि० सा०नि०विभाग, सिरोही के पत्र द्वारा const. of road from Manadar to Rowara Km 5/500 to 9/500 प्रत्यावर्तन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में बैठक दिनांक 09.04.2021 को प्रातः 11.00 बजे उपखण्ड कार्यालय शिवगंज में की गई जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण/जनप्रतिनिधिगण/सदस्यगण उपस्थित हुये जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है-

उक्त प्रकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार चर्चा कर निर्णय लिया गया:-

1-ग्राम पंचायत रोवाड़ा:-

const. of road from Manadar to Rowara Km 5/500 to 9/500 प्रत्यावर्तन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत रोवाड़ा द्वारा अवगत कराया कि उक्त रास्ते के क्षेत्र में वनाधिकार अधिनियम में किसी प्रकार का न तो कोई अतिक्रमण है ओर न ही किसी प्रकार का कब्जा है। न ही वनाधिकार के तहत किसी को पट्टा जारी किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

2-ग्राम पंचायत मनादर:-

const. of road from Manadar to Rowara Km 5/500 to 9/500 प्रत्यावर्तन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत मनादर द्वारा अवगत कराया कि उक्त रास्ते के क्षेत्र में वनाधिकार अधिनियम में किसी प्रकार का न तो कोई अतिक्रमण है ओर न ही किसी प्रकार का कब्जा है। न ही वनाधिकार के तहत किसी को पट्टा जारी किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः उपस्थित वनाधिकार समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासीयों का कब्जा नहीं है एवं न ही वनाधिकार का पट्टा जारी किया हुआ है।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

उपखण्ड अधिकारी,  
शिवगंज

कमांक/उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार बैठक/2021/ ५७३ दिनांक 13-04-2021  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सिरोही को सूचनार्थ।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोही
4. तहसीलदार शिवगंज
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति शिवगंज
6. सदस्यगण समस्त.....

उपखण्ड अधिकारी  
शिवगंज (सिरोही)